प्रेस–विज्ञप्ति

कन्या सुमंगला योजना हेतु आवेदन

शासनादेश स0 436/60–3–2019–6 (सा0)/19टीसी, दिनाक 07 मार्च 2019 के द्वारा "कन्या सुमंगला योजना" के अन्तर्गत आवेदन पत्र हेतु लाभार्थी की पात्रता निम्नवत निर्धारित है। **(पात्रता)**– 1. वार्षिक आय तीन लाख रूपये तथा 2. परिवार की अधिकतम दो बच्चियो को लाभ मिलेगा 3. परिवार का आकार (साइज) दो बच्चो से अधिक न हो 4. किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुडवा वच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लडकी को भी लाभ अनुमन्य होगा। 5. लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो।

आवेदन की श्रेणी –

क0स0	श्रेणी का प्रकार	धनराशि	आवश्यक दस्तावेज
1	बालिका के जन्म होने पर	रू0 2000 एक मुश्त	जन्म प्रमाण
2	बालिका के एक वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण के उपरान्त	रू0 1000 एक मुश्त	टीकाकरण से सम्बन्धित प्रमाण
3	कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश करने के उपरान्त	रू0 2000 एक मुश्त	कक्षा 01 में प्रवेश सम्बन्धी प्रमाण
4	कक्षा छः में बालिका के प्रवेश करने के उपरान्त	रू0 2000 एक मुश्त	कक्षा 06 में प्रवेश सम्बन्धी प्रमाण
5	कक्षा नौ में बालिका के प्रवेश करने के उपरान्त	रू0 3000 एक मुश्त	कक्षा 09 में प्रवेश सम्बन्धी प्रमाण
6	बलिका द्वारा वारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त स्नातक – अथवा दो वर्षीय या अधिक के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो।	रू0 5000 एक मुश्त	स्नातक या डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश सम्बन्धी प्रमाण।

उपरोक्तः छः श्रेणियों के लाभार्थी कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, चित्रकूट, एस0डी0एम0 कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है या http://chitrakoot.nic.in बेवसाईट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर आवेदन कर सकते है। प्राथमिक रूप से आवेदन आंनलाइन किये जाने है आनलाइन न हो पाने की दशा पर आवेदन की हार्डकॉपी जिला प्रोबेशन कार्यालय, जिला पंचायत कर्वी, चित्रकूट में जमा करे।

जिला प्रोबेशन अधिकारी,
चित्रकूट।

कार्यालय – जिला प्रोबेशन अधिकारी, चित्रकूट।

पत्रांक – 361 /जि0प्रो0का0 / कन्या सुमंगला /2019–20/ दिनाक – 19/8/2019

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित –

1. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी चित्रकूट को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त योजनान्तर्गत विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र http://chitrakoot.nic.in पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण झांसी, दैनिक समाचार पत्र आज, अमर उजाला, हिन्दुस्तान मे न्यूनतम दर मे विज्ञप्ति प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित।

जिला प्रोबेशन अधिकारी,
चित्रकूट।